

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प.3(300)नवि/3/95

जयपुर दिनांक - 24-11-2001

परिपत्र

अस्पतालों, डाइग्नोस्टिक सेन्टर, नर्सिंग होम आदि में निजी विनियोजन को प्रोत्साहन देने हेतु नवस्थापित किये जाने वाले नर्सिंग होम्स, चिकित्सालयों, निदान केन्द्रों आदि का राज्य की चिकित्सा नीति के तहत रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराने बाबत इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 7.9.98 के अतिक्रमण में निम्नानुसार आदेश जारी किये जाते हैं:-

1. इस नीति के तहत अस्पतालों, डाइग्नोस्टिक सेन्टर एवं नर्सिंग होम को स्थानीय निकायों, नगर विकास न्यायों, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि आवंटित की जायेगी।
2. आवंटित की जाने वाले भूमि के अधिकतम क्षेत्र का निर्धारण स्थानीय निकाय के द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अभिरक्षा पर होगा।
3. भूमि आवासीय आरक्षित दर पर आवंटित की जायेगी।
4. ऐसे चिकित्सीय संस्थान जिन्हें इस नीति के अन्तर्गत भूमि आवंटित की जाएगी वह कम से कम 10 प्रतिशत विस्तर बी.पी.एल. कार्डधारियों को निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे तथा उपचार पर दवाईयों और जांच आदि पर आने वाले खर्च का मात्र 25 प्रतिशत वसूल किया जायेगा।
5. इस नीति के तहत आवंटित भूमि का उपयोग चिकित्सा संस्थान के निर्माण हेतु आवंटन की तिथि से 3 वर्ष के अन्दर किया जाएगा। इसका पालन नहीं करने पर आवंटित भूमि स्वतः राज्य सरकार की हो जाएगी तथा भूमि पर यदि कुछ निर्माण कराया गया होगा तो वह भी राज्य सरकार का नाना जाएगा।
6. भूमि आवंटन की अन्य शर्तें भूमि निस्तारण नियम 1974 के तहत होगी।
7. उक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर पर पेनेल्टी वसूल की जाएगी। जिन संस्थाओं को पूर्व में रियायती दर पर भूमि आवंटन किया गया है उसके सम्बन्ध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग यह जांच करेगा कि उक्त शर्तों की पालना हो रही है या नहीं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा यह जांच रिपोर्ट इस विभाग को भिजवाई जायेगी। प्राप्त रिपोर्ट पर विभाग द्वारा बिन्दु संख्या 5 में वर्णित प्रावधान के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

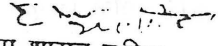
(जी.एस.संघु)
शासन सचिव

(604)

(235)

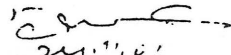
प्रतिलिपि निम्न को भी सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. समस्त संभागीय आयुक्त।
2. सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त जिला कलेक्टर।
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया आयुक्त, समस्त नगर परिषद/ अधिशासी अधिकारी, समस्त नगरपालिका को अपने स्तर पर भिजवाने की व्यवस्था करावें।
6. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
7. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
8. प्रांतीय समस्त मेडीकल कॉलेज।


उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, मा. मंत्री, नगरीय विकास विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, मा. राज्य मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।


उप शासन सचिव